भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1229
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

पोक्सो न्यायालय

1229. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोक्सो न्यायालयों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पोक्सो न्यायालयों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है,

(ग) ऐसे पोक्सो न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली है ;

(घ) पोक्सो के अंतर्गत पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज करने के लिए श्रव्य-दृश्य सुविधाओं से युक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ङ) कितने पोक्सो न्यायालयों को संवेदनशील गवाहों के लिए सुरक्षोपाय से युक्त किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बलात्संग तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए अक्तूबर, 2019 से त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) है, स्थापित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को समय-सीमा की रीति में कार्यान्वित कर रही है । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 757 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, जिसके अंतर्गत 411 अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय हैं, कार्यशील हैं । इन न्यायालयों ने स्कीम के प्रारंभ से 2,14,000 मामलों से अधिक का निपटान किया है, जबकि 2,02,000 से अधिक मामले लंबित हैं ।

आरंभ के, 389 ई-पॉक्सो न्यायालयों को स्थापित करने के आदेश पर, देशभर में 411 ई-पॉक्सो न्यायालय कार्यशील कर दिए गए हैं । इन न्यायालयों ने स्कीम के आरंभ से 1,38,000 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 1,34,943 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं । राज्यवार अनन्य रूप से कार्यशील पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों की कुल संख्या के साथ स्कीम के आरंभ से ई-पॉक्सो मामलों का संचयी निपटान और लंबन **उपाबंध-1** पर दिया गया है ।

(ग) और (घ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना में, परियोजना के चरण-1 के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्स्थानी कारावासों के बीच प्रचालित की गई है । परियोजना के चरण-2 में एक वीडियो कांफ्रेंस उपस्कर सभी न्यायालय परिसरों जिसके अंतर्गत तालुक

स्तर के न्यायालय भी हैं को उपलब्ध कराया गया है तथा 14,443 न्यायालय कक्षों (उच्च न्यायालयवार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर उपाबद्ध है) के लिए अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्कर के लिए निधि स्वीकृत की गई है । 2506 वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिन स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है (उच्च न्यायालयवार ब्यौरा **उपाबंध-3** पर उपाबद्ध है) । आभासी सुनवाई के संवर्धन के लिए अतिरिक्त 1500 वीडियो कांफ्रेंस अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं 3240 न्यायालय परिसरों के बीच पहले से ही समर्थ हैं । ये वीडियो कांफ्रेंस सुविधाएं न्यायालय परिसरों में सभी न्यायालयों जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय और ई-पॉक्सो न्यायालय भी हैं के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं ।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सुनवाई के संचालन में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । 31 दिसंबर, 2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की है । 5.012 करोड़ रुपये तथा 28.886 करोड़ रुपये की निधि क्रमश: 2,506 वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिन तथा 14,443 न्यायालय कक्षों में वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्करों के लिए निधि जारी की गई है ।

(ङ) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों ने, संवेदनशील साक्षी बयान केंद्रों को स्थापित करने के लिए, न्यायालय परिसरों के भीतर पीड़ितों के लिए सुकर बनाने और न्यायालयों को बाल-मैत्री पूर्ण बनाने के द्वारा अनुकंपा विधिक प्रणाली के लिए निर्णायक समर्थन प्रदान करने के लिए, दृष्टिकोण अंगीकृत किया गया है । पॉक्सो न्यायालयों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरे, जो संवेदनशील साक्ष्य सुरक्षापायों के साथ सुसज्जित हैं, **उपाबंध-4** पर दिया गया है ।

****

9 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 में निर्दिष्ट अनुसार उपाबंध

उपाबंध-1

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रवार दिसंबर, 2023 तक कार्यशील ई-पॉक्सो न्यायालयों तथा ई-पॉक्सो मामलों के संचयी निपटान

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	कार्यशील न्यायालय		स्कीम के आरंभ से ई-पॉक्सो मामलों का संचयी निपटान	ई-पॉक्सो मामलों का संचयी लंबन
		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय जिसके अंतर्गत ई-पॉक्सो भी है	ई-पॉक्सो		
1	आंध्र प्रदेश	16	16	4083	7231
2	असम	17	17	4979	5207
3	बिहार	46	46	9939	17716
4	चंडीगढ़	1	0	0	0
5	छत्तीसगढ	15	11	3614	1809
6	दिल्ली	16	11	1034	2744
7	गोवा	1	0	34	0
8	गुजरात	35	24	8273	4843
9	हरियाणा	16	12	3982	3100
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	967	383
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	70	324
12	झारखंड	22	16	3809	3278
13	कर्नाटक	31	17	5894	3145
14	केरल	54	14	5165	2148
15	मध्य प्रदेश	67	57	20092	7671
16	महाराष्ट्र	19	10	10221	2010
17	मणिपुर	2	0	0	0
18	मेघालय	5	5	382	1061
19	मिजोरम	3	1	48	34
20	नागालैंड	1	0	3	0
21	ओडिशा	44	23	7950	6930
22	पुडुचेरी	1	1	44	221
23	पंजाब	12	3	1902	429
24	राजस्थान	45	30	9009	5016
25	तमिलनाडु	14	14	6228	4440
26	तेलंगाना	36	0	2731	0
27	त्रिपुरा	3	1	184	73
28	उत्तराखंड	4	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	218	74	28283	52184
30	पश्चिमी बंगाल	3	3	48	2948
	कुल	**757**	**411**	**138968**	**134945**

उपाबंध-2

न्यायालय कक्षों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्कर का उच्च न्यायालयवार ब्यौरा*

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	कार्यशील न्यायालय कक्षों की संख्या	पहले से दिए गए वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्करों की संख्या	दिए जाने वाले अतिरिक्त उपस्करों की संख्या
1	इलाहाबाद	2438	150	2288
2	आंध्र प्रदेश	550	212	338
3	बंबई	2178	486	1692
4	कलकत्ता	840	88	752
5	छत्तीसगढ	395	90	305
6	दिल्ली	479	6	473
7	गुवाहाटी	442	194	248
8	गुजरात	1078	327	751
9	हिमाचल प्रदेश	135	43	92
10	जम्मू -कश्मीर	218	86	132
11	झारखंड	417	28	389
12	कर्नाटक	1029	200	829
13	केरल	508	159	349
14	मध्य प्रदेश	1274	203	1071
15	मद्रास	1169	267	902
16	मणिपुर	38	37	1
17	मेघालय	36	64	0
18	ओडिशा	688	141	547
19	पटना	1046	76	970
20	पंजाब और हरियाणा	972	118	854
21	राजस्थान	1239	238	1001
22	सिक्किम	21	17	4
23	तेलंगाना	440	129	311
24	त्रिपुरा	78	66	12
25	उत्तराखंड	184	52	132
	कुल	**17892**	**3477**	**14443**

*14443 न्यायालय कक्षों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्कारों की कुल अनुमानित लागत 28.886 करोड़ रुपए है ।

उपाबंध-3

वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिन तथा न्यायालय परिसरों में कनेक्टिविटि का उच्च न्यायालयवार ब्यौरा**

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिनों की संख्या
1	इलाहाबाद	438
2	आंध्र प्रदेश	57
3	बंबई	271
4	कलकत्ता	128
5	छत्तीसगढ	58
6	दिल्ली	103
7	गुवाहाटी	77
8	गुजरात	94
9	हिमाचल प्रदेश	18
10	जम्मू-कश्मीर	34
11	झारखंड	78
12	कर्नाटक	128
13	केरल	52
14	मध्य प्रदेश	169
15	मद्रास	140
16	मणिपुर	12
17	मेघालय	11
18	ओडिशा	84
19	पटना	171
20	पंजाब और हरियाणा	135
21	राजस्थान	143
22	सिक्किम	11
23	तेलंगाना	52
24	त्रिपुरा	17
25	उत्तराखंड	25
कुल		**2506**

** वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिन के लिए उपस्कर की कुल अनुमानित लागत 5.012 करोड़ रुपए है ।

उपाबंध-4

राज्यवार पॉक्सो न्यायालयों की प्रास्थिति जो संवेदनशील साक्षी सुरक्षापायों से सुसज्जित है ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पॉक्सो न्यायालयों की संख्या जो संवेदनशील साक्षी सुरक्षापायों से सुसज्जित हैं
1	आंध्र प्रदेश	जब तक स्थायी वीडब्ल्यूडीसी स्थापित नहीं होता और क्रियाशील नहीं होता तब तक वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली/आडियो वीडियो लिंकेज के साथ एडीआर केन्द्र पर अस्थायी स्थापना
2	असम	10
3	बिहार	42
4	चंडीगढ़	1
5	छत्तीसगढ	36
6	दिल्ली	35
7	गोवा	0
8	गुजरात	26
9	हरियाणा	14
10	हिमाचल प्रदेश	6
11	जम्मू - कश्मीर	7
12	झारखंड	19
13	कर्नाटक	31
14	केरल	18
15	मध्य प्रदेश	एडीआर भवन/बाल-मैत्री न्यायालय/मध्यकता केंद्र में व्यवस्थाएं की गई हैं
16	महाराष्ट्र	128
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	9
19	मिजोरम	7
20	नागालैंड	1
21	ओडिशा	30
22	पुडुचेरी	डाटा नहीं दिया गया
23	पंजाब	11
24	राजस्थान	55
25	तमिलनाडु	डाटा नहीं दिया गया
26	तेलंगाना	69
27	त्रिपुरा	6
28	उत्तर प्रदेश	सभी जिलों में अंतरिम व्यवस्थाएं की गई हैं
29	उत्तराखंड	4
30	पश्चिमी बंगाल	10

****